राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	102/2021 एम्बीयन्स टाऊनशीप / दुलीचन्द हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/8/21	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। रेस्पो. को निरन्तर आवाजे लगवाई गयी। किन्तु वे अनुपस्थिति ही रहे। अत: अधिवक्ता अपीलार्थी की एकतरफा बहस समायत की गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस के प्रारंभ में निवेदन किया कि ग्राम कुकस तहसील आमेर स्थित विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1098 एवं 1245 के अपीलार्थी जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 04/04/2005 से क्रेता/खातेदार है एवं अपीलार्थी ने अपनी खाते की आराजीयात को जयपुर विकास प्राधिकरण में 90-B(3) की कार्यवाही करवाते हुये अपने खातेदारी अधिकार का समर्पण जयपुर विकास प्राधिकरण के हक़ में कर दिया था जिससे उक्त विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1098 एवं 1245 का स्वामित्व जयपुर विकास प्राधिकरण में निहित हो गया एवं उक्त आराजी कृषि से अकृषि में परिवर्तित हो गयी थी। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में आगे निवेदन किया कि उक्त समस्त तथ्यों के पश्चात भी अपीलार्थी को पक्षकार सयोजित किये बगैर वाद एवं प्रार्थना पत्र गलत रूप से प्रस्तुत कर आदेश जैर अपील विधि विरुद्द प्राप्त कर लिया गया है जबकि विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1098 एवं 1245 के सन्दर्भ में अपीलार्थी स्पष्ट रूप से हितधारी एवं प्रभावी पक्षकार है जिन्हें पक्षकार सयोजित किये बगैर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर आदेश जैर अपील पारित करवा लिया गया। जो सर्वथा न्याय के सुस्थापित सिद्दांत के विरुद्द है। अपीलार्थी को आदेश जैर अपील की जानकारी होते ही यह अपील बिना देरी के प्रस्तुत कर दी गयी। अत: प्रार्थना पत्र इजाजत अपील एवं दफा-5 कानून मियाद स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी को पक्षकार सयोजित किये बगैर एवं सुनवाई का अवसर दिये बगैर गलत रूप से पारित आदेश जैर अपील दिनांक 30/06/2017 को निरस्त फरमाया जावे एवं अपील स्वीकार फरमाई जावे। हमने अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस के परिपेक्ष में अपील पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2061-2064 एवं जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 एवं पंजीकृत विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर 1098 एवं 1245 में अपीलार्थी के हित निहित है ऐसे में उक्त आराजी के सन्दर्भ में अपीलार्थी प्रभावीत एवं हितधारी पक्षकार है जिन्हें प्रकरण में पक्षकार संयोजित कर सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है एवं चूँकी अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार समायोजित ही नही किया गया है ऐसेमें अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी के सन्दर्भ में उद्दरित तथ्यों न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होते है। अत: अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र [signature]	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

एम्बीयन्स टाऊनशीप / दुलीचन्द

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
102/2021	

बाबत इजाजत अपील अन्तर्गत धारा 96 CPC एवं दफा-5 कानून मियाद स्वीकार किये जाते है एवं जैसा की उपरोक्त विवेचन में जमाबन्दी सम्वत 2061-2064 एवं जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 एवं पंजीकृत विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतियों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो चूका है कि विवादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर 1098 एवं 1245 में अपीलार्थी के हित निहित होने के पश्चात भी उन्हें पक्षकार समायोजित नही किया जाकर सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया है तथा उक्त खसरा नम्बरान की आराजी के सन्दर्भ में 90-B की कार्यवाही हो उक्त आराजी कृषि से अकृषि में परिवर्तित हो चुकी है। ऐसेमें खसरा नम्बर 1098 एवं 1245 के सन्दर्भ में आदेश जैर अपील प्रथमद्रष्ट्या उचित प्रतीत नही होता है। अत: आदेश जैर अपील दिनांक 30/06/2017 को खसरा नम्बर 1098 एवं 1245 स्थित ग्राम कुकस तहसील आमेर की हद तक निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में अपीलार्थी को पक्षकार समायोजित कर एवं सुनवाई का अवसर देते हुये विधिसम्वत आदेश पारित करे। अपीलार्थी को जरिये अभिभाषक यह निर्देश प्रदान किये जाते है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस सन्दर्भ में उचित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे। इस हद तक अपील स्वीकार की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 25/08/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)